भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-15

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार

***15. श्री संजीव कुमारः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में सभी बिजली उत्पादक राज्यों में झारखंड में बिजली संयंत्र उद्धार गुणक सबसे कम है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार करने के लिए झारखंड राज्य सरकार के साथ किसी सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) इसके लिए निर्धारित समय-सीमा तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या झारखंड में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मध्यम अवधि में पतरातू विद्युत संयंत्र का और अधिक विस्तार करने के बारे में विचार कर रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पतरातू विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी हां। झारखंड में स्थित विद्युत संयंत्र में भारत के सभी विद्युत उत्पादक राज्यों में से एक न्यूनतम संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) है। अप्रैल-अक्तूबर, 2015 की अवधि के दौरान झारखंड में स्थित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ 29.22% था।

(ख) : एनटीपीसी ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए दिनांक 03 मई, 2015 को झारखंड सरकार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि., झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लि. एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लि. के साथ एक करार-ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात, दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) पर हस्ताक्षर किए गए तथा दिनांक 15.10.2015 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतः "पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लि." का निगमीकरण कर दिया गया है।

जेवीसी का मुख्य उद्देश्य निष्पादन कर रही मौजूदा यूनिटों और इनसे जुड़ी टाई-लाइनों, उपकेंद्रों तथा मुख्य विद्युत पारेषण लाइनों का अधिग्रहण, स्थापना, प्रचालन, रख-रखाव, संशोधन, नवस्वरूपीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना और नई इकाइयों की स्थापना करना है।

(ग) : संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रयास है कि वह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापना लागत के संबंध में अनुमोदन प्रदान किए जाने के अध्यधीन, परिसंपत्ति के अंतरण की तिथि से छः माह के भीतर, इस संयंत्र के निष्पादन में सुधार करे।

(घ) : जेवीसी ने दो चरणों में क्षमता विस्तार की योजना बनाई हैः

- चरण-I (3X800 मेगावाट)
- चरण-II (2X800 मेगावाट - मौजूदा यूनिटों को विखंडित करने के पश्चात)।

****